



Neutral Citation-2026: AHC:20773

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 3203 / 2026

श्याम लालयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आनंद कुमार गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2, आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को यह निर्देश दिया जाए कि वे उ.प्र. राजस्व संहिता-2006 की धारा 207 के तहत दायर अपील संख्या 798/2022, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या C202205000000798 (गुंजन बनाम श्याम लाल) पर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय लें।

2. यह तर्क दिया गया है कि यह मामला वर्ष 2022 से ही विचाराधीन है, किंतु आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।

3. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए—तथा विषय के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उपर्युक्त अपील पर विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक विचार करें तथा निर्णय लें। यह निर्णय, अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह के भीतर लिया जाए; किंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाए तथा—यदि कोई विधिक बाधा न हो तो—किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन न दिए जाएं।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"